

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of

Office of the District Collector

No. 5658

Dated. 20/11/15

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **54.639** hectare of forest land proposed to be diverted in favour of **WESTARN KOL FILD LIMITED PECH ARIYA PARASIYA** (name of user agency) for under ground coal mining operation (purpose for diversion of forest land) for under ground coal mining in Chhindwara district falls within jurisdiction of **gram JAMUNIYA PATHAR**, forest land **54.639** hect., forest compartment no. **P 8.26/1, P 58, P 60, P137, P 202, P 248 & P 260**, Block **JAMUNIYA PATHAR** of forest rang **PARASIYA** village(s) in **PARASIYA.....tehsils**.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... that **gram JAMUNIYA PATHAR, forest land 54.639 hect., forest compartment no. P 8.26/1, P 58, P 60, P137, P 202, P 248 & P 260, Block JAMUNIYA PATHAR of forest rang PARASIYA** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 7.....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **JAMUNIYA PATHAR** village(s) is enclosed as annexure 1 to annexure 7.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encls.: As above. gram sabha processeding.

 Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

पंचायत की बैठकों की कार्यवाही की पुस्तक

प्रस्ताव	उहराव
1	2
प्रस्ताव क्रमांक (13)	मंगेश्वर कायनाथिया पर चर्चा बावद
प्रस्ताव क्रमांक (14)	मोक्ष हाम (आविष्कार) निर्माण की स्वीकृति बावद
प्रस्ताव क्रमांक (15)	वन अधिकार के मुद्दे में स्तिशान्ति के चर्चा न उपलब्ध के लक्ष्य में प्रस्ताव बावद



Handwritten signature and initials in blue ink.

पंचायत की कार्यवाही की पुस्तक

स्वीकृत प्रस्तावों की तामील का रजिस्टर

स्वीकृत प्रस्ताव क्र. तथा दिनांक	विवरण	तामील क्या हुई
3	4	5
प्रस्ताव क्रमांक (13)	प्रस्ताव क्रमांक (13) मंगेश्वर कायनाथिया पर चर्चा बावद	मंगेश्वर कायनाथिया पर चर्चा बावद
प्रस्ताव क्रमांक (14)	मोक्ष हाम (आविष्कार) निर्माण की स्वीकृति बावद	मोक्ष हाम (आविष्कार) निर्माण की स्वीकृति बावद
प्रस्ताव क्रमांक (15)	वन अधिकार के मुद्दे में स्तिशान्ति के चर्चा न उपलब्ध के लक्ष्य में प्रस्ताव बावद	वन अधिकार के मुद्दे में स्तिशान्ति के चर्चा न उपलब्ध के लक्ष्य में प्रस्ताव बावद

प्रमाण पत्र, जलपट्टा पत्र, जलपट्टा पत्र

Handwritten signature in blue ink.

CANCELLED



CANCELLED

दिनांक 8/10/2015

क्र.	ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य के नाम	हस्ताक्षर
(1)	नारायण	
(2)	सिमिलकुमार नागवंशी	
(3)	प्रेमनाथ नागवंशी	
(4)	सुमेरचंद नागवंशी	
(5)	बन्धुनाथ गोहिल	
(6)	विष्णुनाथ गोहिल	
(7)	सुधीर नागवंशी	
(8)	पद्मसेन शर्मा	
(9)	जतिनाथ गंज	
(10)	कविता लालावाट	
(11)	जुलारी नागवंशी	
(12)	शुभाजी शर्मा	
(13)	दानाशर्मा	
(14)	देवनाथ लालावाट	
(15)	विकास नागवंशी	
(16)	1. 1000	

TRUE COPY

सत्यापन प्रमाण

ग्राम पंचायत, जमुनिया पठार
जनपद पंचायत, फरसिया

क. ग्राम सभा में उपस्थित
सदस्यों के नाम

वर्ग संख्या

- | | | |
|----|----------------------------|-------------|
| 16 | श्री लोक कुमार नागवंशी | का. 1106 |
| 17 | कैलाश उईके (प्रधानाध्यापक) | सि. 1107/18 |
| 18 | सिरभा उईके | सि. 1108 |
| 19 | सुकुमार नागवंशी | सि. 1109 |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |


सचिव
ग्राम पंचायत, जमुनिया पठार
जनपद पंचायत, प्रसिया

AA
TRUE COPY
10/11/18

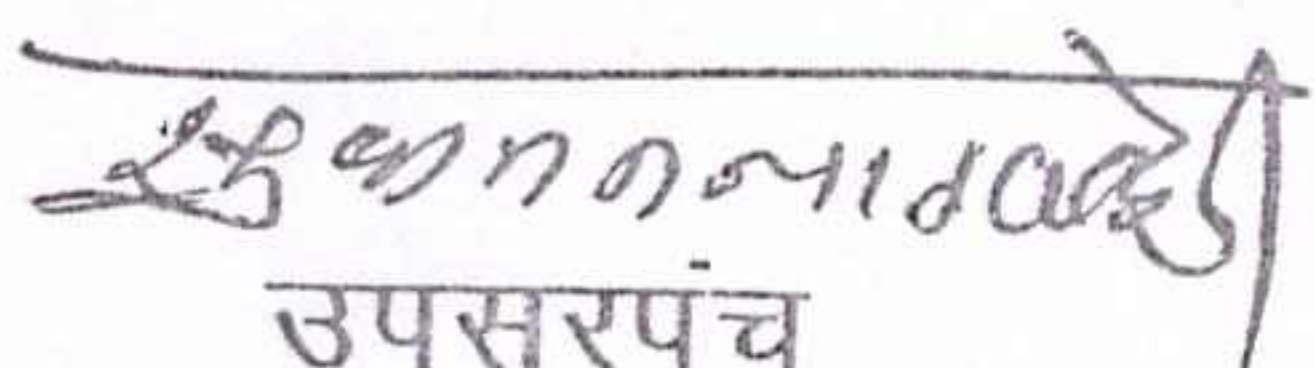


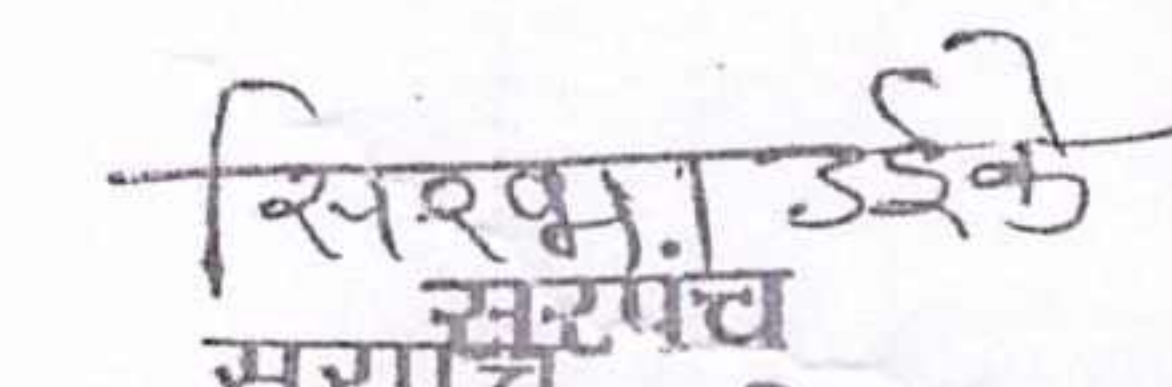
कार्यालय ग्राम पंचायत जमुनिया पठार
जनपद पंचायत परासिया
जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

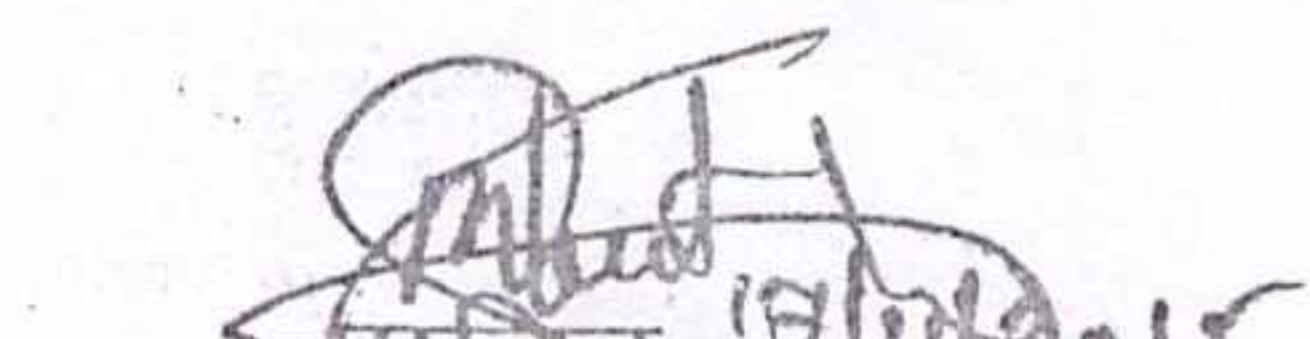
प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. डब्ल्यू. सी. एल. पेंच क्षेत्र की कोयला खदान जमुनिया भूमिगत खान में कोयला उत्खनन एवं उत्खनन से जुड़े संबंधित कार्यों के लिये राजस्व वन भूमियों की स्वीकृति किया जाना प्रस्तावित है। पंचायत क्षेत्र ग्राम जमुनिया पठार के आश्रित/राजस्व वन क्षेत्र के ख.न. 8,26/1,58,60,137,202,248,260 कुल रकबा 54.639 हे. में उक्त भूमि में व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वनभूमि में व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पात्र वननिवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 8.10.2015 को की गई है जिसमें सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित हुये।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करता है कि व्यपवर्तन के लिये आवेदित वन भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्यों से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

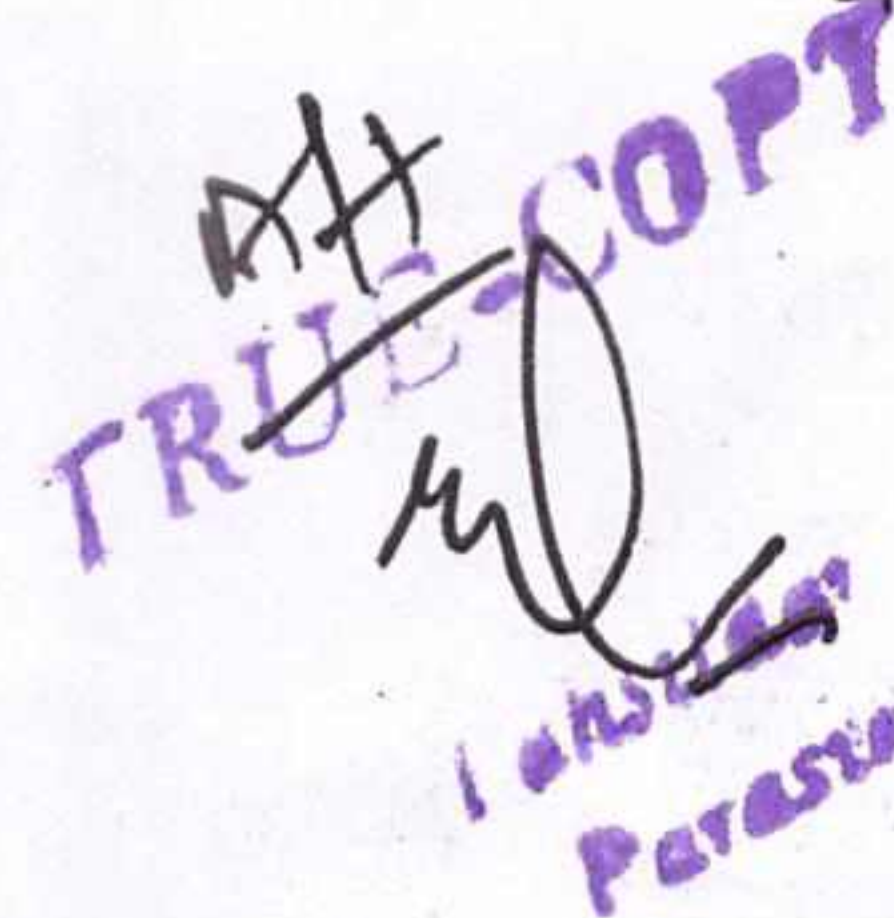
संलग्न:- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति।


उपसरपंच
ग्राम पंचायत
जमुनिया पठार


सरपंच
ग्राम पंचायत, जमुनिया पठार
जनपद पंचायत परासिया
जमुनिया पठार


सरपंच
ग्राम पंचायत, जमुनिया पठार
जनपद पंचायत परासिया
जमुनिया पठार




TRUE COPY
10/10/2015
Pavastha

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
परासिया

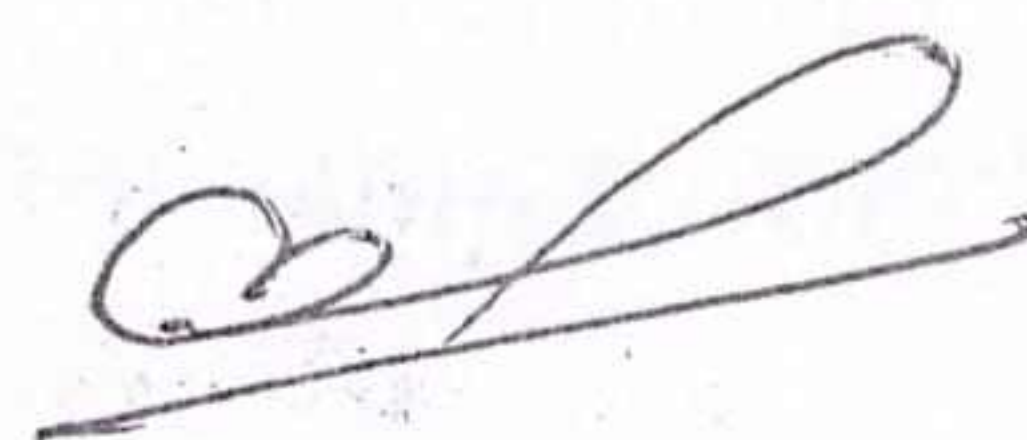
विषय:- ग्राम जमुनिया पठार में वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चयन के संबंध में।

महोदय जी,

निवेदन है कि ग्राम जमुनिया पठार प.ह.न. 29 रा.नि.म. सिरगोरा तहसील परासिया व जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत ग्राम में खसरा क्रमांक 8, 26/1, 58, 60, 137, 202, 248, 260, रकबा क्रमशः 3.027, 10.391, 0.809, 8.543, 9.895, 17.509, 3.493, 0.972 राजस्व वन भूमि है। उक्त खसरा न. पर वनाधिकार अधिनियम के तहत भूमि का पूर्ण में पट्टा प्रदाय नहीं किया गया है। एवं कोई वनाधिकार दावा ग्राम में शेष नहीं है। वे.को.लि. पंच क्षेत्र परासिया द्वारा वनमंडल छिन्दवाड़ा (सा) पश्चिम वन परिक्षेत्र परासिया के राजस्व वन भूमि खसरा क्रमांक 8, 26/1, 58, 60, 137, 202, 248, 260, रकबा क्रमशः 3.027, 10.391, 0.809, 8.543, 9.895, 17.509, 3.493, 0.972, हे.कुल रकबा 54.639 हे. क्षेत्र राजस्व वन भूमि पर भूमिगत पद्धति से वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, पंच एरिया परासिया जिला छिन्दवाड़ा द्वारा कोयला उत्खनन की स्वीकृति हेतु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

आवेदित क्षेत्र के संबंध में प्रतिवेदनानुसार आवेदित क्षेत्र 369.940 हे. में से 54.639 हे. राजस्व वनभूमि, 13.716 हे. राजस्व भूमि एवं 301.585 हे. निजी भूमि प्रतिवेदित है। उक्त भूमियों में से राजस्व वन भूमि रकबा 54.639 हे. भूमि को वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वे.को.लि. पंच क्षेत्र परासिया को कोयला उत्खनन हेतु प्रदाय किये जाने हेतु स्थानीय ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पूर्व में ही किया जा चुका है। आवेदित राजस्व भूमि को आवेदित उपयोग हेतु प्रदाय किये जाने पर ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। अतः वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रतिवेदन सेवार्थ प्रस्तुत है।



पटवारी
हल्का नंबर 29
जमुनिया पठार



TRUE COPY
14/05/2021
P. 29/25/21



कार्यालय तहसीलदार परासिया, जिला छिन्दवाड़ा

प.क. /

/तह / 2015

परासिया, दिनांक

/11/2015

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी,
परासिया

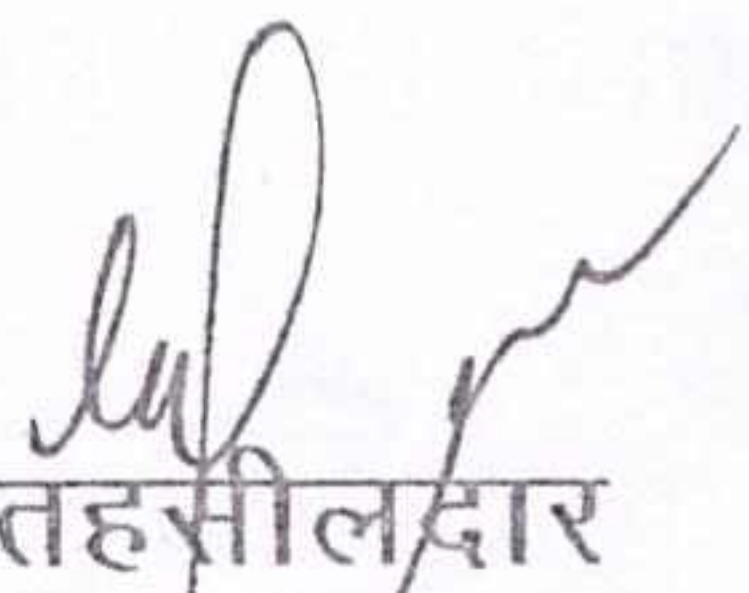
विषय :- वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चयन के तहत अनापत्ति बाबद।
संदर्भ :- कलेक्टर महोदय छिन्दवाड़ा द्वारा दूरभाष पर दिनांक 16.11.2015 को दिये गये निर्देशानुसार।

—00—

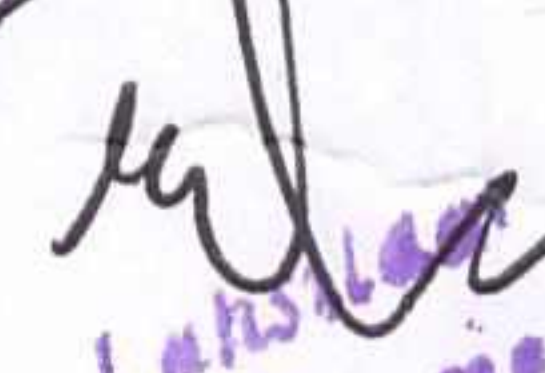
विषयांतर्गत प्रतिवेदन है कि ग्राम जमुनिया पठार रा.नि.म. परासिया तहसील परासिया व जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत वे.को.लि. पेंच क्षेत्र द्वारा वनमंडल छिन्दवाड़ा(सा) पश्चिम से वन परिक्षेत्र परासिया के राजस्व वन खसरा क्रमांक 8, 26/1, 58, 60, 137, 202, 248, 260, रकबा क्रमशः 3.027, 10.391, 0.809, 8.543, 9.895, 17.509, 3.493, 0.972, हे.कुल रकबा 54.639 हे. क्षेत्र राजस्व वन भूमि पर भूमिगत पद्धति से वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, पेंच एरिया परासिया जिला छिन्दवाड़ा द्वारा कोयला उत्खनन की स्वीकृति हेतु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

आवेदक क्षेत्र के संबंध में हल्का पटवारी से स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदनानुसार आवेदित क्षेत्र 369.940 हे. में से 54.639 हे. राजस्व वन भूमि, 13.716 हे. राजस्व भूमि एवं 301.585 हे. निजी भूमि प्रतिवेदित है। उक्त भूमियों में से राजस्व वन भूमि रकबा 54.639 हे. भूमि को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वे.को.लि. पेंच क्षेत्र को कोयला उत्खनन हेतु प्रदाय किये जाने हेतु स्थानीय ग्राम सभा ग्राम जमुनिया पठार द्वारा प्रस्ताव पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदित राजस्व वन भूमि, आवेदक को कोयला उत्खनन करने हेतु उत्खनि पट्टा प्रदाय किया जा सकता है। जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


तहसीलदार
परासिया



TRUE COPY

Tahsil Dar
Parasia

प्रतिलिपी आवेदन पत्र क्र. 253 दिनांक 30/7/16 के अनुसार

कार्यालय... परासिया के न.प्र.क्र. 386/18/11/2015

उपस्थित... दिनांक की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपी।



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) परासिया, जिला छिन्दवाड़ा

ज्ञापन

क्रमांक / 385 / री-1 / अविअ 2015,
प्रति,

परासिया, दिनांक 18/11/2015

श्रीमान कलेक्टर महोदय,
(खनिज शाखा)
छिन्दवाड़ा(म.प्र.)

विषय:- छिन्दवाड़ा जिले के पश्चिम वनमंडल वनपरिक्षेत्र परासिया में स्थित राजस्व वन भूमि कुल रकबा 54.639 हे. भूमि पर कोयला उत्खनन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

संदर्भ:- कलेक्टर महोदय छिन्दवाड़ा द्वारा दूरभाष पर दिनांक 16.11.2015 को दिये गये निर्देशानुसार।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से छिन्दवाड़ा जिले के परासिया वनपरिक्षेत्र के ग्राम जमुनिया पठार में स्थित राजस्व वन भूमि क्षेत्रफल 54.639 पर कोयला उत्खनन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में। वे.को.लि. पेंच क्षेत्र परासिया द्वारा कोयला उत्खनन हेतु स्वीकृति बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में परीक्षण कर प्रतिवेदन चाहा गया है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में तहसीलदार परासिया द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रतिवेदन मंगाया गया है। उनके द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदित क्षेत्र ग्राम जमुनिया पठार तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा में स्थित भूमि खसरा नंबर 8, 26/1, 58, 60, 137, 202, 248, 260, रकबा क्रमशः 3.027, 10.391, 0.809, 8.543, 9.895, 17.509, 3.493, 0.972, हे.कुल रकबा 54.639 हे. क्षेत्र राजस्व वन भूमि है। उपरोक्त भूमि पर वे.को.लि. पेंच क्षेत्र परासिया द्वारा कोयला उत्खनन किये जाने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वे.को.लि. पेंच क्षेत्र परासिया को कोयला उत्खनन हेतु प्रदाय किये जाने हेतु स्थानीय ग्राम सभा के द्वारा प्रस्ताव पूर्व में पारित किया जा चुका है। तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित भूमि कोयला खनन हेतु वे.को.लि.पेंच क्षेत्र परासिया को नियमानुसार प्रदाय किया जाना प्रतिवेदित है।

प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



18/11/15
अनुविभागीय अधिकारी
परासिया